मूल प्रति

हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की दिनांक १९ जून २००२ को

सम्पन्न हुयी षष्टम बोर्ड बैठक का

कार्यवृत्त एवं निर्णय

स्थान : सभाकक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

दिनांक : 19 जून 2002

समय : अपरान्ह 2.00 बजे

सुनियोजित विकास ''आपकी आशा - हमारा ध्येय''

हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की षष्टम बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002 का कार्यवृत्त

दिनांक 19.6.2002 को आयुक्त मेरठ मण्डल एवं अध्यक्ष हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में, सभा कक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में बैठक संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1.	श्री एन.एस. रवि	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री मुक्तेश मोहन मिश्र	उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	उपाध्यक्ष
3.	श्री आर.के. सिंह	उपनिदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ (राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
4.	श्री शेरसिंह	सहायक नियोजक, नगर एव ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 लखनऊ के - प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
5.	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव	अपरजिलाधिकारी - भू-अर्जन गाजियाबाद (जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
6.	इं. बी.के. अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
7.	इं. राजेश निगम	सहायक अभियन्ता - लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 (प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य

विशेष आमंत्रित व अन्य उपस्थिति :-

1.	श्री विशाल मांगलिक	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, (उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त कान्क्रेन्ट आडीटर मै. सचदेवा एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित
2.	श्री विशन सिंह	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ	अन्य उपस्थिति (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)
3.	श्री श्याम सिंह यादव	सचिव, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	अन्य उपस्थिति
4.	श्री वेद मित्तल	मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक गा.वि.प्रा. (हा.पि.वि.प्रा. के सलाहकार के रूप में)	”
5.	इं. राधेश्याम शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	”
6.	श्री संतोष कुमार कौशिक	सहायक लेखकाधिकारी, गा.वि.प्रा., गायिजाबाद (वित्त नियंत्रक, गा.वि.प्रा./सलाहकार हा.पि.वि.प्रा. के प्रतिनिधि के रूप में)	”
7.	इं. जहीरूद्दीन	सहायक अभियन्ता (मु.), हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़	”

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

बैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार है :

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की गत (पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 27.6.2001) की कार्यवाही की पुष्टि।	प्राधिकरण की गत (पंचम) बोर्ड बैठक दिनांक 27.6.2001 सभागार, आयुक्त मेरठ मण्डल कार्यालय में सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय दिनांक 27.6.2001, पुनः पूर्ण बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु, अवलोकनार्थ रखे गये। इस पर कोई आपत्ति किसी सदस्य द्वारा इंगित नहीं की गई। अतः पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 27.6. 2001 में लिये गये निर्णय की पुष्टि हुई।
2	हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 27.6.2001 की अनुपालन आख्या।	प्राधिकरण की पंचम बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि अनुपालन आख्या स्वीकार नहीं की गई। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक शीघ्र ही जुलाई माह में आयोजित की जाये तथा प्राधिकरण की स्थापना से अब

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

		तक हुई समस्त बोर्ड बैठकों की अनुपालन आख्या प्रत्येक मदवार विस्तृत उल्लेख करते हुये रखी जाये।
3	हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण हेतु वर्ष 2002-2003 का आय व्यय सम्बन्धित प्रस्ताव	प्राधिकरण के कार्यकलापों पर संक्षिप्त चर्चा की गई जो अलग से टिप्पणी के रूप में सलंग्न है तथा प्राधिकरण का बजट 2002-2003 अनुमोदित किया गया।
4 से 21 तक	मद संख्या 4 से 21 संलग्न अनुक्रमणिका के अनुसार	सभी मद स्थगित किये गये आगामी बैठक शीघ्र ही जुलाई माह में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया तथा सभी स्थगित मद आगामी बैठक में पुनः रखने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

टिप्पणी :

प्राधिकरण की स्थापना व कार्यकलापों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। तदोपरान्त षष्टम बोर्ड बैठक के एजेन्डा पर विचार विमर्श हुआ मद सं. 2 पर गत बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि जिन निर्णयों का अनुपालन प्रारम्भ हो चुका है उनकी अनुपालन आख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिये कि अनुपालन किया जा चुका है यह उल्लिखित नहीं होना चाहिये कि अनपालन किया जा रहा है। इससे यह प्रतिध्वनित होता है कि अभी अनुपालन प्रभाव में नहीं आया है। बल्कि अनुपालन करने हेतु ही कार्यवाही की जा रही है। यदि किसी निर्णय का अनुपालन नहीं हुआ है तो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए एवं यदि कोई ऐसा मद नहीं हो तो यह उल्लेख होना चाहिए कि इस बैठक में ऐसा कोई मद नहीं है, जिसका अनुपालन लम्बित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया गया कि बैठक समय के अनुसार आयोजित की जाये। जिस पर उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि समय के अनुसार बैठक आयोजित कराने के प्रयास किये जाते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई कि पिछली पांच बैठकों में लिये गये निर्णयों का भी अनुपालन हुआ है अथवा नहीं अतः आगामी बोर्ड बैठक में गत सभी बैठकों के निर्णय पर अनुपालन की आख्या पुनः प्रस्तुत की जाय। तभी अनुपालन के मद पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा योजनाओं हेतु भू अर्जन की प्रगति पर प्रकाश डालने के निर्देश दिये गये, उपाध्यक्ष ने कृत प्रयासों एवं प्रगति से अवगत कराया। अपरजिलाधिकारी भू अर्जन द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं की भू अर्जन की अध्यावधिक स्थिति को विस्तार से अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की दो योजनाओं (प्रीत विहार व फल सब्जी मण्डी योजनाओं) में अर्जन अधिनियम

क्रमशः.....5

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

की धारा – 4–6–17 इत्यादि के नोटीफिकेशन की कार्यवाही हो चुकी है एवं प्रीत विहार योजना में अच्छेजा गांव के काश्तकारों से आपसी सहमति से करार नियमावली के माध्यम से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर कृषक पक्ष से हस्ताक्षर इत्यादि की औपचारिकतायें पूर्ण कराई जा रही हैं। एवार्ड हेतु आंकलित दरों के अनुसार, औसत दर रूपये 159 प्रति वर्ग मीटर आती है जिसे काश्तकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा प्रदर्शन इत्यादि किये गये। जिसके चलते काश्तकारों से हुई वार्ता में रू. 205 प्रति वर्ग मीटर पर सहमति बनी। तदानुसार ही कार्यवाही की जा रही है। परन्तु उक्त दरों का अभी नियमानुसार औपचारिक अनुमोदन नहीं हुआ है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि दरों का औपचारिक अनुमोदन भी साथ-साथ प्राप्त किया जाना आवश्यक था। अतः दरों का औपचारिक अनुमोदन अतिशीघ्र प्राप्त किया जाय एवं यह निर्णय भी लिया गया कि भू-अर्जन अधिनियम की कार्यवाहियां भी समानान्तर रूप से अवश्य चलती रहें, जिससे कि भू अर्जन की कार्यवाही पर कोई विधिक दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः भूमि प्राप्ति की कार्यवाही में तेजी लाकर योजनाओं में गति लायी जाये एवं भूमि प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाये। आगामी बैठक जुलाई माह में आहूत की जाये। इन्हीं निर्देशों के साथ सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(मुक्तेश मोहन मिश्र)
उपाध्यक्ष
हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(एन.एस. रवि)
मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल/
अध्यक्ष, हा.पि.वि. प्राधिकरण